न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर0के0 मिश्रा**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1259–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–8–2013 एवं 24–8–2013 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी तेदुन राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुंठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

....

राममिलन तनय जमुना प्रसाद
निवासी सौर तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

––––––आवेदक

विरूद्ध

सुदरर्शन प्रसाद तनय जमुना प्रसाद
निवासी सौर तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

––––––अनावेदक

....

श्री अरूणेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री श्री जय शंकर मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी तेदुन राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुंठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा के आदेश दिनांक 17–8–2013 एवं 24–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने आराजी खसरा क्रमांक 491/2 रकवा 0.414 है0 स्थित ग्राम सौर पटवारी हल्का तेदुन मण्डल बैकंठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा के नक्शा तरर्मीम हेतु आवेदन दिया जिसपर राजस्व निरीक्षक ने 17–8–2013 एवं 24–8–2013 को लाल स्हायी से नक्शा तरर्मीम की कार्यवाही की। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के द्वारा जो नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई है उसमें आवेदक को किसी प्रकार की कोई पूर्व सूचना जारी नहीं की गई है। जबकि नक्शा तरमीम की कार्यवाही में हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में ही की जाना चाहिए। नक्शा तरमीम अथवा सीमांकन की कार्यवाही में नक्शा मौका, कब्जा किस्म सभी बिन्दु विचारणीय होते हैं। राजस्व निरीक्षक द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को सूचना न देकर उसकी अनुपस्थिति में नक्शा तरमीम की कार्यवाही कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य नक्शा तरमीम का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी तेदुन राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुंठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा के आदेश दिनांक 17–8–2013 एवं 24–8–2013 निरस्त किये जाते हैं।

29/8/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर